यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-प्रथम राज्य कर, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-प्रथम राज्य कर, रुड़की के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार केसरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्रीमती रेखा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2018 से 18.10.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी के श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.03.2018 से 22.03.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी जिसमे 04/2016 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखो का निरीक्षण किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - सिविल लाइन, बी टी गंज एवं रामपुर, भगवान पुर रुड़की का कुछ क्षेत्र।
2. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (वा0कर,) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**₹लाख मे)**
2015-16	14132.20
2016-17	14553.59
2017-18	5595.22

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

हैः(₹ लाख में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	व्यय अधिक/कम
आहरण वितरण का कार्य 10/2017 तक होने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की गयी।			

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-प्रथम, राज्य कर, रुड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह मार्च 2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर.01;–नियम विरुध छूट दिये जाने के कारण कर का कम आरोपण ₹13.07 लाख।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना **संख्या** 822 दिनॉक 03.07.2004, अधिसूचना सं0.06 दिनॉक 21.01.2006 एवं अधिसूचना सं0.937 दिनॉक 19.12.2006 के अनुसार ऐसी बिक्री ऐसी निर्माता औद्यौगिक इकाई द्वारा की गयी हो जिसका कि मशीन एवं संयत्र में कुल पूॅजी निवेश **₹** 25 करोड या उससे कम हो प्रपत्र सी में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 1 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। अन्यथा की स्थिति में केन्द्रीय विक्री पर प्रपत्र सी प्रस्तुत करने पर 2 प्रतिशत की दर से कर देयता का प्रावधान किया गया है।

उपायुक्त (क0नि0) खण्ड–प्रथम राज्यकर विभाग, रुडकी के माह अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के **की जाँच में पाया गया कि** ब्यौहारी सर्व श्री यूरोलाइफ हेल्थ केयर प्रा0 लि0 रुडकी टिन–05006338878 के कर निर्धारण वाद 2012–13 की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी विभाग में दवाईयों के निर्माण व बिक्री के लिये पंजीकृत है। संगत वर्ष 2012-13 मे व्यौहारी द्वारा ₹13,06,92,790.00 की बिक्री प्रपत्र सी के विरुद्व की गयी जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक प्रतिशत की दर से ₹1306928.00 कर निर्धारित किया गया। आगे पत्रावली **एवं** बैलेन्सशीट की जॉच में पाया गया कि ब्यौहारी का मशीन व प्लांट में कुल निवेश ₹30,32,18,238.00 (18,62,51,694+2,64,20,179+9,05,46,365) का किया गया था। उल्लिखित प्रावधान के आलोक में ₹130692790.00 की प्रपत्र सी के विरुद्व की गयी बिक्री पर अन्तरीय दर 1 प्रतिशत (2–1) से ₹13,06,928.00 (130692790X1%) कर अनारोपित रह गया।

सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि "व्यापारी द्वारा 9,05,46,365.00 की कैपिटल गुडस की खरीद वर्ष 2012–13 में न करके गत वर्ष 2011–12 हेडआफिस मुंबई से क्रय की गयी थी जिसको संगत वर्ष में रुडकी स्थित दोनो यूनिटस में स्थानांतरित किया गया है। जिसको व्यापारी द्वारा नियमानुसार अपनी बैलेन्सशीट में भी दर्शाया गया था, जिसके अनुसार कुल पूॅजी निवेश ₹21,26,71,873.00 है। अत; सी के विरुद्व बिक्री पर 1 प्रतिशत की ही दर से करदेयता होगी। साक्ष्य में बैलेन्सशीट की छायाप्रति (2011–12,2012–13) संलग्न है। आपत्ति निक्षेप योग्य है।"

लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर इस आधार पर अमान्य **है** क्योंकि संव्यवहार वर्ष 2012–13 में यूनिट–1 व यूनिट–2 की बैलेन्सशीट में प्लांट व मशीनरी में कुल निवेश रु. 21,26,71,873 (18,62,51,694 + 2,64,20,179) दर्शाया गया है। **जबकि इसमे कर - निर्धारण आदेश में वर्णित ₹90546365 की मशीनरी शामिल नहीं की गयी है।** इस प्रकार संगत वर्ष में ब्यौहारी का मशीन व प्लांट में कुल निवेश ₹30,32,18,238.00 होने के कारण दो प्रतिशत कर देयता निर्धारित थी। इस प्रकार नियम विरुध दी गयी कर छूट के कारण अन्तरीय अनारोपित कर ₹13,06,928.00 का प्रकरण शासन के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग 2 ब

प्रस्तर-02 अधिक वापसी के कारण राजस्व क्षति ₹2.74 लाख

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या- 380/2013/02(120)/ XXIII(8)/ 2013 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाकारों मे दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किया गया। ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि मे कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त के अनुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

कार्यालय उपायुक्त (क0 नि0)-प्रथम, राज्य कर रुड़की के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री राम नारायण कांट्रेक्टर, रुड़की टिन संख्या-05004324285 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा धारा 7(2) के अंतर्गत समाधान कर की धनराशि का निर्धारण किया गया है। कर निर्धारण आदेश के अनुसार संविदाकार को संगत वर्ष मे संविदी विभाग से सकल भुगतान ₹9,40,58,601 प्राप्त होना एवं ₹ 24,55,287 की टीडीएस की धनराशि की कटौती किया जाना एवं समाधान राशि 2 प्रतिशत की दर से ₹ 18,81,172 निर्धारित करते हुये ₹ 5,74,115 की धनराशि वापसी की गयी थी । जबकि संविदाकार को फॉर्म- 8 के अनुसार वर्ष 2014-15 मे निम्नलिखित धनराशि प्राप्त हुई थी।

फार्म सं0	संविदा मे प्राप्त धनराशि	टीडीएस
010842	29406221	864677
089104	1663744	33275
087916	53291502	1089798
089751	23376310	467537
योग	**107737777**	**2455287**

उपरोक्त के अनुसार समाधान राशि ₹21,54,756 (₹10,77,37,777 x 2 प्रतिशत) निर्धारित होगी। इस प्रकार संविदाकार को कुल ₹ 3,00,531 (₹24,55,287 – 21,54,756) वापसी योग्य थी। अधिक वापस की गयी धनराशि ₹ 2,73,584 (₹5,74,115 - ₹3,00,531) संविदाकार से वसूली योग्य था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पत्रवाली की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: अधिक वापसी के कारण राजस्व क्षति ₹2.74 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 01 आई टी सी रिवर्स न किए जाने से राजस्व क्षति ₹2.74 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) (घ) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा माल (अनुसूची I और अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न) जिसका राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय अथवा पुनः विक्रय किया जाये। विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल एवं उपभोज्य भण्डार और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किया गया डिब्बा या अन्य **संवेदन** सामग्री के रूप में उपयेग किया जाये, ऐसे प्रयोजनों के लिये क्रय किये गये माल पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर खण्ड (घ) के प्रतिनिर्देष से यदि ऐसे परिरूपित उत्पाद को विक्रय से अन्यथा प्रान्त के बाहर प्रेषण किया जाये तो ऐसे प्रतिरूपित उत्पाद के विनिर्माण में सीधे उपयोग की गयी कच्ची सामग्री के क्रय पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा–8 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर से अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क 0 नि 0)-प्रथम राज्य कर रुड़की के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जय ऐश टेक्नालजी लि0 टिन सं0 05009657539 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे व्यापारी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ₹3,62,90,098 की कच्चे माल की प्रांतीय खरीद करना स्वीकार किया गया था । संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा ₹76,56,77,375 के माल का स्टाक ट्रान्सफर किया गया था। जिसके सापेक्ष कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 67.31 प्रतिशत की आई टी सी रिवर्स किया गया था । आगे जांच मे पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ₹ 1,15,70,917 की पैकिंग मैटेरियल (कोरगेटेड बॉक्स, स्टिकर, थर्माकोल, Shrink Rap, साइड पैकिंग आदि), 13.5 प्रतिशत की दर से ₹2,92,272 पैकिंग मैटेरियल (स्टिकर एवं थर्माकोल) एवं ₹3,59,208 की उपभोज्य सामाग्री(Knited Hand Gloves) का क्रय किया गया था । पैकिंग मैटेरियल के कुल क्रय के सापेक्ष स्टाक ट्रान्सफर 67.31 प्रतिशत के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से एवं 13.5 प्रतिशत की दर से एवं उपभोज्य सामग्री पर पूर्ण दर से आई टी सी रिवर्स किया जाना था । जबकि ₹1,15,70,917 का 67.31 प्रतिशत ₹ 77,88,384 पर 2 प्रतिशत ही आई टी सी रिवर्स किया गया था । अतः ₹ 77,88,384 पर 3 प्रतिशत कि दर से ₹2,33,651 आई टी सी और रिवर्स होगी। उपभोज्य सामाग्री पर पूर्ण दर से ₹ 17,960 (₹3,59,208 x 5 प्रतिशत) आई टी सी रिवर्स योग्य थी। 13.5 प्रतिशत की दर से ₹ 2,92,272 का 67.31 प्रतिशत ₹ 1,96,728 पर 2 प्रतिशत ही आई टी सी रिवर्स की गयी थी, अतः अंतरीय दर 11.5 प्रतिशत से ₹26,558 (₹1,96,728 x 11.5 प्रतिशत) आई टी सी रिवर्स योग्य थी। इस प्रकार कुल ₹2,78,169 (₹ 2,33,651 + ₹17,960 + ₹26,558) आई टी सी रिवर्स योग्य थी।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि पत्रवाली की जांच पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा पैकिंग मैटेरियल एवं कन्ज्यूमेबल गुड्स की प्रा0 खरीद सूची पृथक पृथक दाखिल करते हुये नियमानुसार ITC रिवर्स घोषित की गयी थी। जिसको कर निर्धारण आदेश मे त्रुटिवस उल्लेख करने से छूट गया था। उक्त को नियमानुसार संशोधित कर लिया जाएगा।

अत: आई टी सी रिवर्स न किए जाने से राजस्व क्षति ₹ 2.74 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग- 2 'ब'</u>

प्रस्तर- 03 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ ` 1.44 लाख एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 4.31 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के अनुसार, इनुपट टैक्स का लाभ जिसके लिए पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान एसे प्रयोजन हेतु और एसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये।

पुनः इस अधिनियम की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार, इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा किया जाता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पांच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड देय होगा ।

व्यापारी सर्वश्री सतगुरु टेलिकॉम, 22 सिविल लाइन,रूड़की (टिन नं0 05004139306) कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2014-15 के प्रथम, द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में उल्लिखित धनराशि ` 29,75,914 के क्रय पर स्वयं के टिन नं0 एवं नाम अंकित कर ` 1,48,796 की अनियमित आई0टी0सी0 क्लेम किया गया है । इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 58(1)(xi) के अनुसार ` 4,46,388 अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा पत्रावली की जांच पर नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराए जाने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ ` 1,43,693.9 एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 4,31,082 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर- 04 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.97 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह कर, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से कर, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर विभाग, रूड़की के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **<u>संलग्नक-'क'</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 1,96,749 अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा सभी प्रकरणों में बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत कराया जाएगा ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.97 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "***क***"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`में)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`में)
1.	सर्वश्री ए0पी0आई0 मोटर्स प्रा0 लि0, रूड़की । (टिन नं0 05006307547)	2014-15	11/2014	77,397 (CST) 5,17,585 (VAT) 5,94,982 (Total)	20.12.2014	24.12.2014	4 दिन	59,498
			02/2015	21,962 (CST)	20.03.2015	24.03.2015	4 दिन	2,196
2.	मेसर्स श्री शिवा सेल्स कॉरपोरेशन, रूड़की । (टिन नं0 05012641356)	2013-14	04/2013	3,34,630 (VAT)	25.05.2013	27.05.2013	2 दिन	33,463
			07/2013	3,89,040 (VAT)	25.08.2013	31.08.2013	6 दिन	38,904
			12/2013	6,26,882 (VAT)	25.01.2014	30.01.2014	5 दिन	62,688
							योग	**1,96,749**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
45/2012/13	-	01
41/2013-14	-	01,02,03 STAN-1
28/2014-15	-	02
22/2015-16	01,02	01,02,03,04
41/2016-17	01	02,03,04,05,06
163/2017-18	-	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

क्रम सं.	प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	विभागीय अनुपालन आख्या
01	45/2012-13	भाग दो ख- प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या पृथक से प्रेषित की जायेगी।
02	41/2013-14	भाग दो ख- प्रस्तर-01 प्रस्तर-02 प्रस्तर-03 STAN -1	 अनुपालन आख्या पृथक से प्रेषित की जायेगी। कार्यवाही गतिमान है। उपायुक्त-तृतीय को हस्तान्तरित किया गया। कार्यवाही गतिमान है।
03	28/2014-15	भाग दो ख- प्रस्तर-02	 उपायुक्त-पंचम को हस्तान्तरित किया गया।
04	22/2015-16	भाग दो क- प्रस्तर-01 प्रस्तर-02 भाग दो ख- प्रस्तर-01 प्रस्तर-03 प्रस्तर-04	 उपायुक्त-तृतीय को हस्तान्तरित किया गया। मामला संयु0आयु0(अपील)रा0क0,हरिद्वार जोन हरिद्वार में विचाराधीन है। उपायुक्त-दवितीय को हस्तान्तरित किया गया। उपायुक्त -तृतीय को हस्तान्तरित किया गया। RS/CT/-22/2015-16/452 Dt.12.07.2016 के तहत प्रस्तर निस्तारित.
05	41/2016-17	भाग दो क- प्रस्तर-01 भाग दो ख- प्रस्तर-02	पत्रांक-174, दिनांक 27.07.2018 द्वारा अनुपालन आख्या कार्या0 संयु0यु0(कार्य0)रू0संभाग रूड़की को प्रेषित किया गया। RS/CT-41/2016-17/767 Dt. 10.07.2018 के तहत प्रस्तर निस्तारित RS/CT-412016-17/224 Dt.02.05.2018 के तहत प्रस्तर

		प्रस्तर-03 प्रस्तर-04 प्रस्तर-05 प्रस्तर-06	निस्तारित. पत्रांक-264, दिनांक 15.09.2018 द्वारा अनुपालन आख्या कार्या0संयु0आयु0(कार्य0)रू0संभाग रूड़की को प्रेषित किया गया। RS/CT-41/2016-17/869 Dt. 31.07.2018 के तहत प्रस्तर निस्तारित. RS/CT-412016-17/318 Dt.21.05.2018 के तहत प्रस्तर निस्तारित
06	163/2017-18	भाग दो ब प्रस्तर - 01 प्रस्तर - 02 प्रस्तर -03	 कार्यवाही गतिमान है कार्यवाही गतिमान है कार्यवाही गतिमान है

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-प्रथम राज्य कर, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री रोहित श्रीवास्तव,	उपायुक्त	01.04.17 से 08.11.17
(ii)	श्री विजय कुमार	उपायुक्त	20.11.17 से 21.12.17
(iii)	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला	उपायुक्त	22.12.17 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-प्रथम राज्य कर, रुड़की** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखा परीक्षा)-उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

व0लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र